


एक / 2016

221



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-सिवनी

तिथि - ३२४२ - I-

श्री अधिकारी के द्वारा आज दि 21.9.16 को
प्रदाता
विरुद्ध
प्राप्ति
10
21.9.16

प्रेमीबाई पुत्री भैयालाल पत्नी मनोजसिंह,
निवासी कचहरी चौक, सिवनी, जिला
सिवनी (म.प्र.)

..... आवेदिका

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन, द्वारा - कलेक्टर,
जिला - सिवनी (म.प्र.)

..... अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर जिला सिवनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 62/अ-21
/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 28.07.2016 के विरुद्ध मोप्र०
भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला सिवनी का आदेश दिनांक 28.07.2016 अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपारत किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना ही जो आदेश पारित किया है, वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपारत किये जाने योग्य है।
3. यहकि, आवेदिका की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र ग्राम सेलुवाकला, रा.नि.म. बरघाट, तहसील बरघाट हल्का 01 बम्होड़ी में रिथित भूमि खसरा नं.3/2 रकवा 1.600 एवं 3/3 रकवा 0.740, कुल किता 2, कुल रकवा 2.340 हैवटेयर भूमि को गैर आदिवासी क्रेता को विक्रय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें मुख्य आधार लिया गया था कि आवेदिका पर बैंक ऑफ इण्डिया ऋण है तथा वह अपने बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु राशि का प्रबंधन करना तथा शेष बच्ची भूमि को विकसित करना चाहती है। ऐसी स्थिति में भूमि के विक्रय की अनुमति दी जाये। किन्तु कलेक्टर, जिला सिवनी द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर सद्भाविक विचार किये बिना जो आदेश पारित किया है, वह अपारत किये जाने योग्य है।



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3242/एक/2016

जिला-सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
23.9.2016	<p>यह निगरानी आवेदिका द्वारा कलेक्टर, जिला सिवनी के प्रकरण क्रमांक 62/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 28.07.2016 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2— प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदिका ने कलेक्टर, जिला सिवनी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी है, कि उसके स्वामित्व की भूमि ग्राम सेलुवाकला रा.नि.म. बरघाट, तहसील बरघाट, हल्का क्रमांक 01 बम्हौडी, तहसील व जिला सिवनी में स्थित भूमि खसरा नं. 3/2 रकवा 1.600 हैक्टर एवं 3/3 रकवा 0.740 हैक्टेयर, कुल किता 2, कुल रकवा 2.340 है0 भूमि के मालिक काबिज भूमिस्वामी हूँ तथा शासकीय अभिलेखों में उपरोक्त भूमि आवेदिका के नाम दर्ज है। जिसे विक्रय करना चाहती है। इस संबंध में विक्रय अनुबंध पत्र किया गया है। इस भूमि को विक्रय करने के बाद आवेदिका भूमिहीन नहीं होगी क्योंकि उसके पास 2.34 हैक्टेयर भूमि शेष बचेगी। इसलिये आवेदिका को भूमि विक्रय करने की अनुमति दी जाये। कलेक्टर जिला सिवनी ने प्रकरण क्रमांक 62/अ-21/2015-16 पंजीबद्ध कर आवेदिका के आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की जॉच अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व से करायी। जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर, सिवनी ने आवेदिका के प्रकरण में आदेश दिनांक 28.07.2016 पारित कर</p>	

14

MM

आवेदिका के विक्रय अनुमति आवेदन निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3— निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का विधिवत अवलोकन किया गया।

4— आवेदिका अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर सिवनी ने दिनांक 28.07.2016 को आवेदन पत्र पर सद्भाविक विचार नहीं किया। जबकि कलेक्टर, सिवनी को आवेदन पत्र पद सद्भाविक विचार कर आदेश पारित करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में आवेदिका का विक्रय अनुमति आवेदन जॉच प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी विक्रय अनुमति नहीं दी गयी, अतः विचाराधीन निगरानी प्रस्तुत कर विक्रय अनुमति दिये जाने का निवेदन किया गया। अनावेदक के अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुये कलेक्टर के आदेश को यथावत रखने की प्रार्थना की गयी।

5— उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्कानुक्रम में देखना है कि क्या कलेक्टर सिवनी ने आदेश दिनांक 28.07.2016 के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है। प्रकरण जब तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ जॉच हेतु गया एवं जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद वापिस आया। तब ऐसी स्थिति में विक्रय अनुमति दी जानी चाहिए थी, ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 28.07.2016 निरस्त किये जाने योग्य है।

6— आवेदिका के अभिभाषक के तर्कानुसार आवेदिका अपनी शेष कास्तकारी भूमि की उन्नति एवं बच्चों की उचित शिक्षा एवं स्वतः की पारिवारिक आवश्यकतों की पूर्ति हेतु भूमि विक्रय अनुमति पर शीघ्र विचार होना बताया गया। प्रकरण में देखना है कि आवेदिका वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं :—

1— तहसीलदार बरघाट ने आवेदिका के विक्रय अनुमति आवेदन पत्र की जाँच कर अपना प्रतिवेदन दिनांक 02.09.2014 में बताया है कि यदि वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति उपरान्त भूमि विक्रय होती है, इसके बाद आवेदिका के पास कुल रकवा 2.34 हैक्टेयर भूमि शेष बचेगी। तात्पर्य यह है कि आवेदिका भूमिहीन नहीं होगी उसके पास जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि है।

2— प्रतिवेदन में बताया गया है कि आवेदिका द्वारा विक्रय की जाने वाली भूमि स्व—अर्जित भूमि है। अर्थात् शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है।

3— तहसीलदार बरघाट ने प्रतिवेदन में यह बताया है कि भूमि असिंचित है। इस प्रकार आवेदिका की भूमि घाटे की कृषि भूमि है।

4— आवेदिका अभिभाषक के तर्कों के अनुसार आवेदित भूमि स्वामी हक में दर्ज है एवं आवेदिका की भूमि पट्टे की भूमि नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि आवेदिका भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वयं द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित भूमि है ऐसा भूमि स्वामी अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टेधारी पट्टे की शर्तों का पालन करते हुये दस वर्ष व्यतीत होने पर भूमि स्वामी बन जाता है, जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।

5— प्रकरण के आये तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदिका के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है, जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर स्व—अर्जित है। आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है संहिता की धारा 165 (7-ख) प्रतिबंधित करती है कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमि स्वामी बिना सक्षम अनुमति के भूमि विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण आवेदिका ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी है

P

M

आवेदिका ने भूमि विक्रय करने का अनुबंध शासकीय गाईड लाईन के माध्यम से निर्धारित दर पर किया गया है जो शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के मान से विक्रय मूल्य देने को तैयार है परिणामतः आवेदिका को स्वअर्जित एवं भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नजर नहीं आती किन्तु कलेक्टर सिवनी ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर सिवनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 62/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 28.07.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदिका को भूमि ग्राम सेलुवाकला रा.नि.म. बरघाट, तहसील बरघाट, हल्का क्रमांक 01 बम्हौडी, तहसील व जिला सिवनी में स्थित भूमि खसरा नं. 3/2 रकवा 1.600 हैक्टर एवं 3/3 रकवा 0.740 हैक्टेयर, कुल किता 2, कुल रकवा 2.340 हैं भूमि के विक्रय की अनुमति दी जाती है।



सदस्य